राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना ।

राजभवन, पटना 800 022

पत्रांक-स्था०-08/03(पार्ट-1)....206..../रा०स०(।।।) दिनांक-28-01-2017

सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा लेखा पदाधिकारी के पद पर संविदा के आधार पर पुनर्नियोजन हेतु विज्ञप्ति

(लेखा पदाधिकारी के एक रिक्त पद पर नियोजन हेतु विज्ञप्ति)

बिहार, राजभवन में लेखा पदाधिकारी के रिक्त पद पर सेवानिवृत लेखा पदाधिकारी को पुनर्नियोजन प्रस्तावित है । पद का विवरण इस प्रकार है: -

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	वेतन बैंड+पे ग्रेड	रोस्टर बिन्दु
1	लेखा पदाधिकारी	01	9300-34800+4200	1. अनारक्षित

अत: राज्यपाल सचिवालय में लेखा पदाधिकारी के एक पद के विरूद्ध पुनर्नियोजन हेतु निम्नांकित शर्तो पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

1. उपरोक्त सभी पदों पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी अथवा उक्त पदों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रतिनियुक्ति / पदस्थापन की स्थिति में सेवा स्वत: समाप्त हो जायेगा । आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष अवधि के लिए दो बार विस्तार किया जा सकता है । अवधि विस्तार के लिये सेवा का संतोषजनक पाया जाना आवश्यक होगा ।
2. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे । इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा ।
3. अनुबंध अवधि की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वत: समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।
4. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा ।
5. ऐसी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी । अत: आवेदक की आयु, आवेदन की तिथि को, 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
6. चयन हेतु पदाधिकारी का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा ।
7. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति एवं पदस्थापन आदेश राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा । चयन समिति आवश्यकतानुसार साक्षात्कार कर अपनी अनुशंसा देगी ।
8. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा ।
9. अनुबंध के आधार पर नियुक्त पदाधिकारी को प्रति माह पारिश्रमिक मानदेय के रूप में सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से पेंशन की राशि की घटा कर शेष राशि देय होगी ।

10. लेखा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा पूर्व धारित पदों की विवरणी सहित स्वयं अथवा निबंधिक डाक से अपना आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2017 के अपराह्न तक प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के पते पर समर्पित कर सकते हैं ।

राज्यपाल के प्रधान सचिव

आवेदन का विहित प्रपत्र

छायाचित्र (पासपोर्ट आकार का)

1. आवेदक का नाम :- ....
2. आवेदक के पिता का नाम :- ....
3. स्थाई पता :- ....
....
....
4. पत्राचार का पता :- ....
(मोबाईल न० के साथ) ....
....
5. जन्म तिथि :- ....
6. कोटि :- ....
(सामान्य/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा/ अनु० जाति/अनु० जन जाति)
7. शैक्षणिक योग्यता :- ....
8. तकनीकी योग्यता :- ....
....
9. पद/वेतनमान :- ....
(जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं)
10. पूर्व अनुभव (अवधि के साथ) :- ....
....
11. पुरस्कार/मेडल :- ....
(यदि प्राप्त हुआ हो तो)
12. सेवा अवधि में कभी दंडात्मक कार्रवाई हुई हो, तो उसका विवरण :- ....
13. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा Case लंबित हो तो उसका विवरण :- ....

घोषणा

मै .... यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

तिथि:-